अमेरिका संग वार्तालाप रही सार्थक

▸ विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जताई उम्मीद

नई दिल्ली, 24 मई. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को बेहद मजबूत बताते हुए उम्मीद जताई है कि इस जटिल समय में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ उनकी बातचीत काफी सार्थक रहेगी.

जयशंकर ने रूबियो के साथ रविवार को यहां द्विपक्षीय वार्ता से पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे और व्यापक संबंध है जो दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस जटिल समय में हो रही दोनों नेताओं की बातचीत काफी सार्थक होगी.

संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन

जयशंकर ने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत के पांच सूत्रीय दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन करती है, बिना बाधा के समुद्री व्यापार का पक्ष लेती है, और व्यापार और संसाधनों का 'एक हथियार' के तौर पर इस्तेमाल करने का कड़ा विरोध करती है. हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका विभिन्न क्षेत्रों में नियमित संपर्क और रणनीतिक समन्वय बनाए हुए हैं. उन्होंने कहा, यह सचिव (रूबियो) की पहली भारत यात्रा, लेकिन उनके पद संभालने के बाद से हम लगातार संपर्क में रहे हैं. इसमें वाशिंगटन डी.सी. और न्यूयॉर्क में मुलाकातें शामिल हैं, और अन्य कार्यक्रमों के दौरान भी बातचीत हुई है.

विदेश मंत्री ने कहा, हमारी एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है और मेरा मानना है कि इसका सरल भाषा में अर्थ यह है कि हमारे बीच बहुत गहरा, बहुत व्यापक सहयोग और ऐसा संबंध है, जो अन्य क्षेत्रों और दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अनेक मुद्दों पर और दुनिया के कई हिस्सों में हमारे हित एक-दूसरे से मेल खाते हैं. मैं आज हमारी बातचीत की प्रतीक्षा कर रहा हूं. ये समय जटिल हैं, हमारी चर्चाएं बहुत खुली और परिणामदायक होंगी.

उल्लेखनीय है कि बियो क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहां आए हुए हैं. मंगलवार को होने वाली इस बैठक से पहले दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय वार्ता की है.

गुरुग्राम जिला अदालत में लगी भीषण आग

गुरुग्राम, 24 मई. हरियाणा के गुरुग्राम के जिला न्यायालय परिसर में रविवार सुबह भीषण आग लगने से न्यायालय भवन का एक हिस्सा भी भरभराकर ढह गया. यह घटना सिविल अदालत के रिकॉर्ड रूम में हुई, अचानक धुआं और आग की तेज लपटें उठती दिखाई दीं. मौके से गुजर रहे वकीलों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और चौकीदार को सूचना दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की घटनास्थल पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. पांच घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका.

अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल

▸ पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान को गंभीर करार दिया

नयी दिल्ली, 24 मई. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को देश में अराजकता फैलाने की एक गंभीर साजिश करार दिया है और उन पर देश में हिंसा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

राहुल गांधी ने कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में दावा किया कि अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की की विदाई तय है और इसका कारण बढ़ती आर्थिक असंतोष होगी. उन्होंने कहा कि अगले एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी. गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, गोयल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि गांधी का बयान कांग्रेस, सभी विपक्षी दलों और भारत को अस्थिर करने का सपना देखने वाले टूलकिट गैंग द्वारा देश के खिलाफ रची जा रही एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है. यह कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने की एक गंभीर साजिश है. उन्होंने कहा कि जब गांधी और उनकी टीम को यह एहसास हो गया कि वे करिश्माई प्रधानमंत्री को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते और सीधे लोकतांत्रिक मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, तो अब वे पूरे देश में हिंसा भड़काना चाहते हैं. वे देश का कुछ भी अच्छा होते हुए देख भी नहीं सकते. संवैधानिक संस्थाओं का अपमान और विदेश जाकर विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की अपील करना यह सब कांग्रेस के असली इरादों को बेनकाब करता है.

> पीयूष गोयल ने कहा कि देश की जनता समझदार है. वह गांधी, विपक्ष और देश के खिलाफ काम करने वाले 'टूलकिट गैंग' को बहुत अच्छी तरह समझती है. जनता ने इन लोगों को बार-बार करारा जवाब दिया है. भारत को आग के हवाले करने की इंडिया गठबंधन की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी.

नीट मामले पर सरकार को घेरा

▸ 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर : राहुल

नई दिल्ली, 24 मई. नीट-यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तब तक शांत नहीं बैठेगी, जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित नहीं बनाया जाता.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैदराबाद में छात्रों के प्रदर्शन का एक वीडियो साझा किया. प्रदर्शनकारी छात्र नीट पेपर लीक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए गए. राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा कि जब लाखों युवा सड़कों पर हों, 22 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हो और प्रधानमंत्री चुप रहें, तो यह साफ दिखता है कि सरकार जवाब देने के बजाय बचने में लगी है. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और नीट जैसे पेपर लीक रोकने के लिए फुलप्रूफ व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा.

गौरतलब है कि कांग्रेस लगातार नीट-यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा बनाए रखने में विफल रही है.

कब्जा नोटिस

जबकि, IIFL-HFL ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) (उक्त अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता, गारंटर, बंधककर्ता को राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और इसके बाद, IIFL-HFL ने दिनांक 29-दिसंबर-2025 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से, IIFL-HFL बैंक द्वारा उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ, साथ ही अंतर्निहित अचल संपत्ति, फीनिक्स आर्क लिमिटेड (पूर्व में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को सौंप दिए हैं, जो फीनिक्स ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा है - ट्रस्ट एफवाय 26-14

(फीनिक्स) सुरक्षा रसीद धारकों के लाभ के लिए. अत:, उक्त आवंटन के मद्देनजर, फीनिक्स अब IIFL-HFL के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया है और फीनिक्स उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार के विरुद्ध सभी प्रकार की कार्यवाही शुरू करने/जारी रखने तथा वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत अपने अधिकारों और लाभों को लागू करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा ली गई वित्तीय सुविधाओं के लिए निष्पादित और निर्मित गारंटी और सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है.

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अचल संपत्ति पर 'जैसा है, जहां है और जो कुछ भी है' के आधार पर नीचे उल्लिखित तिथि से कब्जा कर लिया है.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री उमेश लोधी श्रीमती संध्या (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10925136)	प्लॉट संख्या ई-08, एस एम होम्स, ग्राम- धन्नाद, तहसील- देपालपुर और जिला- इंदौर, मध्य प्रदेश 453001 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्रफल, विक्रय योग्य_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्रफल: 423.00, 423.00, 423.00	रुपये 1027715/- (रु. दस लाख सत्ताइस हजार सात सौ पन्द्रह मात्र)	20-09-2025	21-05-2026
श्री राधेश्याम दांगी, श्रीमती नोरंग बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10066894)	प्लॉट संख्या 98 के दक्षिणी भाग का वह पूरा टुकड़ा, विनायक विहार, रणमल बिल्लौद, देपालपुर, इंदौर, मध्य प्रदेश 453001 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल: 500	रुपये 990962/- (रु. नौ लाख नब्बे हजार नौ सौ बांसठ मात्र)	04-12-2025	21-05-2026
श्री सोनू, श्रीमती सविता (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10099861)	प्लॉट संख्या 122 के दक्षिणी भाग का वह पूरा टुकड़ा, भाग संख्या 122-बी, मालवा कुंज, सर्वेक्षण संख्या 425/1, सेजे, घाटाबिल्लौद, इंदौर 452001, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, संपत्ति का क्षेत्रफल: 400	रुपये 1149497/- (रु. ग्यारह लाख उन्नचास हजार चार सौ सन्तानवे मात्र)	04-12-2025	21-05-2026
श्री जीवन सिंह डोडिया श्रीमती गंगा (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10465469 और आईएल10164737)	प्लॉट संख्या बी-208 के दक्षिणी भाग का वह पूरा टुकड़ा, संपूर्ण बाग कॉलोनी, ग्राम लेबाद, तहसील और जिला धार, मध्य प्रदेश 454001. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल. संपत्ति का क्षेत्रफल: 400.00, 470.00	रुपये 362066/- (रु. तीन लाख बांसठ हजार छियासठ मात्र) आईएल10465469 के लिए और रुपये 902122/- (रु. नौ लाख दो हजार एक सौ बाइस मात्र) आईएल10164737 के लिए	05-12-2025	21-05-2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स उपर्युक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद फीनिक्स की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित/हस्तांतरित नहीं करेगा और अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन फीनिक्स द्वारा उपर्युक्त राशि के साथ-साथ संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के प्रभार के अधीन होगा. ऋणकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उपर्युक्त अचल संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं संपत्ति.

स्थान: इन्दौर, दिनांक 25-5-2026 हस्ता. अधिकृत अधिकारी, फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (पूर्व में 'फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से जाना जाता था)

सीआईएन क्रमांक-U67190MH2007PLC168303 वेबसाइट: www.phoenixarc.co.in पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, वॉलेस टावर्स, 139/140/B/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे का चौराहा, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, 400057. दूरभाष: +91 02268492450.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL के प्रभार के अधीन होगा, जैसा कि नीचे उल्लिखित राशि पर ब्याज सहित लगाया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" के बकाया और सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री फि रोज कुरेशी श्रीमती सुल्ताना बी मिस्त्री (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10649205)	मध्य प्रदेश के देवास जिले के वारसी नगर स्थित देवास शहर में स्थित प्लॉट संख्या 169, जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट है, का पूरा हिस्सा। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल: 400	रू. 297332/- दो लाख सत्तानवे हजार तीन सौ बत्तीस मात्र	19-09-2025	19-05-2026
श्री महेंद्र सिंह सेंधव श्रीमती किरण बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10517732)	पटवारी हल्का क्रमांक 35, खसरा क्रमांक 420, मकान क्रमांक 41, क्षेत्रफल 576 वर्ग फुट, ग्राम पांडी, तहसील तेंदूखेड़ा, जिला देवास, मध्य प्रदेश 455116, भारत में स्थित। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र। संपत्ति का क्षेत्रफल: 576.00, 558.00, 418.00	रू. 321813/- तीन लाख इक्कीस हजार आठ सौ तेरह मात्र	16-10-2025	20-05-2026
श्री अनिल पटेल, श्रीमती सागर बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10690821)	पटवारी हलखा संख्या 16, वार्ड संख्या 24, मकान संख्या 427, खसरा संख्या 2346, ग्राम चिदावाड़, तहसील टोंक खुर्द, जिला देवास, मध्य प्रदेश 465110, भारत में स्थित संपत्ति। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कारपेट क्षेत्र। संपत्ति का क्षेत्रफल: 1170.00, 900.00	रू. 516102/- पाँच लाख सोलह हजार एक सौ दो मात्र	27-10-2025	21-05-2026

अधिक जानकारी के लिए, कृपया शाखा कार्यालय: 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड, इंदौर- 452001, मध्य प्रदेश/ या कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा में अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थान: इंदौर
दिनांक: 25.05.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

फाल्दा जीत पर जनता को बधाई

कोलकाता, 24 मई. फाल्दा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के कुछ ही मिनटों बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं.

एक लंबे सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने भाजपा उम्मीदवार देबांग्शु पांडा को भारी जनादेश देकर जिताने के लिए फाल्दा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने मतदाताओं से एक लाख मतों से जीत सुनिश्चित करने की अपील की थी तथा भाजपा उम्मीदवार ने अंतत: 1.09 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की है.

अधिकारी ने लिखा, मैं फाल्दा की जनता के आगे सिर झुकाता हूँ. हम क्षेत्र के समग्र विकास के माध्यम से इस विश्वास को चुकाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

हम एक 'स्वर्ण फाल्दा' बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. मुख्यमंत्री ने डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की प्रचंड जीत के कुछ ही मिनटों बाद तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के बहुचर्चित 'डायमंड हार्बर मॉडल' का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि अब यह 'तृणमूल हार-बार मॉडल' में बदल चुका है.

SBFC फाइनेंस लिमिटेड (पहले SBFC फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड)

रजिस्टर्ड ऑफिस: यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, विलेज चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400059

डिमांड नोटिस

जहां नीचे बताए गए देनदार/सह- देनदार ने SBFC फाइनेंस लिमिटेड से फाइनेंशियल मदद ली थी. हम बताते हैं कि फाइनेंशियल मदद लेने के बावजूद, बॉरोअर्स/मॉर्गेजर ने तय तिथियों पर ब्याज और मूलधन चुकाने में कई डिफॉल्ट किए हैं. खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एसबीएफसी की पुस्तकों में नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों पर गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("SARFAESI अधिनियम") के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों पर डिमांड नोटिस जारी किए, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तारीख तक नोटिस में उल्लिखित राशि को अनुबंध दर पर अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि के साथ चुकाने के लिए कहा. उनके अंतिम ज्ञात पते पर उन्हें जारी किए गए नोटिस बिना तामील हुए वापस आ गए हैं.

क्र.	कर्ज लेने वाले का नाम / पता	डिमांड नोटिस की तारीख और एनपीए	लोन नंबर और बकाया रकम	सिक्योर्ड एसेट्स का प्रॉपर्टी एड्रेस
1.	**1. प्रतीक माली, 2. नंदकिशोर माली, 3. सुनीता माली,** जिनका पता वार्ड नंबर- 12, अंजुमन रोड (गाइडलाइन वार्ड नंबर 10 के अनुसार), मोजा टीलाखेड़ा, थाना मल्हारगढ़ और जिला मंदसौर - 458664 है.	**डिमांड नोटिस की तारीख:** 07 मई 2026 **एनपीए की तारीख:** 05 अप्रैल 2026	**लोन अकाउंट नंबर 4021060000279286 (PR01299657) और 402106000308448-C (PR01332688), लोन की रकम: रु. 16,00,000/-** (केवल सोलह लाख रुपये) जिसमें से **रु. 10,86,000/- सुविधा अनुबंध संख्या 4021060000279286 (PR01299657) के लिए और रु. 5,14,000/- सुविधा अनुबंध संख्या 402106000308448-सी (PR01332688) के लिए. कुल बकाया रकम: 15 अप्रैल 2026** तक **रु. 16,18,563/-** (सिर्फ सोलह लाख अट्ठारह हजार पाँच सौ तिरेसठ रुपये) और 16 अप्रैल 2026 की तारीख से बिना इस्तेमाल किया गया ब्याज.	गाइडलाइन के हिसाब से प्रॉपर्टी का वह सारा टुकड़ा जिसमें मकान/दुकान नंबर 125, पिपलिया मंडी वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 10 का हिस्सा हो, मौजा टीलाखेड़ा, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, म.प्र. 458664. 53.558 वर्गमीटर. का माप. **बाउंड्री: पूरब:** सैय्यद फसीउद्दीन का घर, **पश्चिम:** अंजुमन रोड, 21 फ़ीट, **उत्तर:** श्री दीपकचंद का घर, **दक्षिण:** अंजुमन गली नंबर 4
2.	**1. मेसर्स ए.एल. अनोखीलाल मनोरिया ईईटी सप्लायर के कानूनी उत्तराधिकारी, 2. श्री अनोखी लाल मनोरिया, 3. श्रीमती चिंता देवी, 4. श्री गोकुल प्रसाद मनोरिया, 5. श्रीमती संगीता मनोरिया, 6. श्रीमती पवन कुमार मनोरिया, पता: मकान-** 21, वार्ड क्रमांक 13, महावीर मार्ग, वीटीसी सोनकच्छ, पो. सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश-455118 और साथ ही, पता: 1ए, मेसर्स ए.एल. अनोखीलाल मनोरिया ईईटी सप्लायर के कानूनी उत्तराधिकारी डायवर्टेड प्लॉट और निर्मित मकान (खसरा) संपत्ति क्रमांक 218 (नया क्रमांक 128), सर्वे क्रमांक 955 और 958 पैकी में वार्ड क्रमांक 14 में मेहतर मोहल्ला ग्राम सोनकच्छ, जिले में स्थित है. देवास (म.प्र.), पिनकोड-455118.	**डिमांड नोटिस की तारीख:** 20 मई 2026, **एनपीए की तारीख:** 04 दिसंबर 2025	**लोन अकाउंट नंबर 31277 (PR00851180), लोन अमाउंट रु. 35,00,000/- (सिर्फ पैंतीस लाख रुपये) फैसिलिटी एग्रीमेंट नंबर 31277 (PR00851180)** के जरिए. **20 मई, 2026** तक लोन की बकाया रकम **रु. 38,12,283/-** (सिर्फ अड़तीस लाख बारह हज़ार दो सौ तिरासी) और 21 मई, 2026 की तारीख से बिना लागू ब्याज.	डायवर्टेड प्लॉट और बने हुए घर (खसरा) प्रॉपर्टी नंबर 218 (नया नंबर 128), कुल एरिया 1941.00 वर्गफीट (180.94 वर्गमीटर), सर्वे नंबर 955 और 958 पैकी, वार्ड नंबर 14 में मेहतर मोहल्ला, गाँव सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.), पिनकोड-455118 और इससे घिरा हुआ: **पूरब:** सड़क, **पश्चिम:** श्री कैलाशसिंह बघेल का बाड़ा, **उत्तर:** चंगा मेहतर का घर, **दक्षिण:** घर की बची हुई प्रॉपर्टी जो श्री मांगीलाल प्रजापत को बेची गई.

ऊपर बताए गए हालात में, ऊपर बताए गए बॉरोअर्स, को-बॉरोअर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के पब्लिश होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर ऊपर बताई गई बकाया रकम, भविष्य के ब्याज और लागू चार्ज के साथ चुका दें. ऐसा न करने पर, इस नोटिस की तारीख से 60 दिन खत्म होने के बाद सिक्योर्ड एसेट्स के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें SARFAESI एक्ट के सेक्शन 13 (4) और उसके तहत लागू नियमों के तहत बॉरोअर्स और मॉर्टगेजर के सिक्योर्ड एसेट्स पर कब्जा करना शामिल है. कृपया ध्यान दें कि SARFAESI एक्ट के सेक्शन 13 (13) के तहत, कोई भी बॉरोअर, सिक्योर्ड क्रेडिटर की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना, नोटिस में बताए गए अपने किसी भी सिक्योर्ड एसेट्स को बिक्री, लीज या किसी और तरह से ट्रांसफर नहीं करेगा.

तारीख: 25-05-2026
स्थान: मंदसौर/देवास/म.प्र.

Sd/- प्राधिकृत अधिकारी
SBFC फाइनेंस लिमिटेड

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस, तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 30 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **26-06-2026** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **26-06-2026** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड ड्राफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **25-06-2026** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड,** तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	9971304	श्रीमती लक्ष्मी राठौर, स्व. श्री दिलीप राठौर की पत्नी एवं वैधानिक उत्तराधिकारी, श्री सुरेश राठौर	₹ 3,55,887/- 14-05-2025	₹ 45,02,500/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): - ₹ 4,50,250/- कब्जे का प्रकार : सांकेतिक	₹ 4,41,746/- 14-05-2026

अचल संपत्ति का विवरण : संपत्ति 1:- अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, प्लॉट नंबर 68 का पूर्वी भाग, अनुकूल नगर कॉलोनी, वार्ड नंबर 07, देवास; क्षेत्रफल 67.50 वर्ग मीटर (726.30 वर्ग फीट) चर्तुसीमाएँ:- पूर्व: प्लॉट नंबर 67, पश्चिम: उसी प्लॉट का शेष भाग, उत्तर: प्लॉट नंबर 81, दक्षिण: 18 मीटर सड़क

संपत्ति 2:- अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, प्लॉट नंबर 68 का पश्चिमी भाग, अनुकूल नगर कॉलोनी, वार्ड नंबर 07, देवास; क्षेत्रफल 67.50 वर्ग मीटर (726.30 वर्ग फीट) **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: उसी प्लॉट का शेष भाग, पश्चिम: प्लॉट नंबर 69, उत्तर: प्लॉट नंबर 81, दक्षिण: 18 मीटर सड़क

नोट :- बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि बोली जमा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें। नीलामी किसी भी मुकदमे या विवाद के नतीजे पर निर्भर होगी।

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रुप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:

कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल https://auctionbazaar.com के माध्यम से दिनांक 26-06-2026 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: **रु.10,000/- (दस हजार मात्र)** 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्टरूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **19-06-2026** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। 12. अन्य किसी विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, **अर्का ईमार्ट प्रायवेट लिमिटेड, 6-3-1090/1/1, दूसरी मंजिल, पार्ट बी, उमा हैदराबाद हाउस, राजभवन रोड़, सोमाजीगुडा, हैदराबाद 500082, ई-मेल आईडी : contact@auctionbazaar.com / support@auctionbazaar.com के माध्यम से अथवा मनीष बंसल, ईमेल आईडी manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नंबर 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें** । 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **https://surl.lt/hnxdeb** का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

ह/-
(प्राधिकृत अधिकारी)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 25-05-2026

आज का इतिहास

1985 - बांग्लादेश में भारी तूफान के कारण लगभग 10 हजार लोगों की मौत
1991 - इस्राइल ने 14 हजार यहूदियों को इथियोपिया से निकाला
1995 - अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार जीवित जीव के डी.एन.ए. को डीकोड करने में सफलता मिली
1998 - यूरोपीय संघ के सदस्य देश परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर प्रतिबंध न लगाने के लिए सहमत
2003 - चिली ने विश्व कप टेनिस का खिताब पहली बार जीता
2005 - हिन्दी फ़िल्म अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ सुनील दत्त का निधन

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय :ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र-400072
इंदौर अन्नपूर्णा शाखा: ऑफिस नं.- 101, मकान नं.- 154, प्लाट नं.- 145, पहली मंजिल, वार्ड नं.-71, द्रविड़ नगर, एयू बैंक के ऊपर, केट रोड़ के अन्दर, रणजीत हनुमान मंदिर के पास, इंदौर (म.प्र.)

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधारण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो)/ जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1	(लोन कोड नं. 17310000320 & 17310001161/ इंदौर अन्नपूर्णा शाखा) जितेन्द्र कुमावत (ऋणी) सरिता कुमावत एवं नारायण (सह-ऋणी), विक्की कुमावत (जमानतदार)	11-08-2025 & ₹ 11,17,145/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग तल मंजिल, पुराना मकान नंबर 9, नया 232, लोक नायक नगर, प्रफुल्ल टोकीज़ रोड, वार्ड नंबर 70, इंदौर, मध्य प्रदेश 452002 **चर्तुसीमाएँ:-**पूर्व - पिछली गली, पश्चिम - सड़क, उत्तर - मकान नंबर 10, दक्षिण - मकान नंबर 8	₹ 19,45,600/-	₹ 1,94,560/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **29-06-2026 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 2. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **30-06-2026 सुबह : 10:00 बजे से 11:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है। 3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी। 4. डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए। 5. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें। 6. इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/signup,** लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। 7. अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दीपक मालवीय (संपर्क नंबर 7583898990)** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com,** फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है। 8. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी **www.aadharhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें। 9. नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/-** है। 10. यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

स्थान : मध्यप्रदेश, दिनांक : 25-05-2026